अधिसूचना सं0 15/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 117(अ) तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना में,-

(क) आरंभिक पैरा में, "सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना या सुविधा" शब्दों के स्थान पर "या सौर विद्युत उत्पादन या सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना या सुविधा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शर्त (1) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-
"(1) भारत सरकार, नवी और नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी मालों की मात्रा, विवरण और विनिर्देशों को दर्शित करते हुए इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश करता है और प्रमाणित करता है कि वे, यथास्थिति, सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रारंभिक स्थापना या सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना या प्रसुविधा के लिए अपेक्षित हैं ; और" ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सं. सा.का.नि 117(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 26/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 8 मई, 2012 द्वारा सा.का.नि. 342(अ) तारीख 8 मई, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।